

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत



# आवेदन प्रपत्र


प्राप्ति स्थान

**किशोर बुक डिपो**

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग

जयपुर-302 001

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के  
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श



कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, <sup>1</sup>[ खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुए विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मंत्री एवं क्रोधाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 10/- के शुल्क पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
12. आवेदन पत्र के अंकित पदाधिकारियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. शहरी क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक अथवा पार्षद के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे और ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्त शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रेजुएट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थाएँ जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
22. नई संस्था के आवेदन प्रपत्र केवल सोमवार/मंगलवार को ही कार्यालय समय में जमा करवाये जा सकेंगे।
23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
24. रजिस्ट्रेशन फीस सम्बन्धी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखे।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाएँ द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाएँ के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

संघ विधान-पत्र



1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम अयविनायक शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सीकर तथा कार्यक्षेत्र:- इलाखी नगर वार्ड नं.-15 राणीयरी सीकर है तथा इसका कार्यक्षेत्र अक्षयपुर खेड़ा क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:- सीकर

1. बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश देना।
2. उचित शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों का मानसिक शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना।
3. बालकों में देश सभ्राज तथा मानव्युक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
4. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की व्यवस्था करना।
5. पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था से बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना।
6. नैतिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा देश के आदर्श जागरिक तैयार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

# जय विनायक शिक्षा समिति, सीकर

पंजीयन क्रमांक - 136सीकर/2004-2005

विधान संशोधन का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

क्र. सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1	3	उद्देश्यों की संख्या 11	उद्देश्यों की संख्या 29
1. बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश देना।	1. बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश देना।	1. बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश देना।	1. बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश देना।
2. उचित शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना।	2. उचित शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना।	2. उचित शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना।	2. उचित शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना।
3. बालकों में देश, समाज तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।	3. बालकों में देश, समाज तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।	3. बालकों में देश, समाज तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।	3. बालकों में देश, समाज तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
4. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की व्यवस्था करना।	4. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की व्यवस्था करना।	4. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की व्यवस्था करना।	4. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की व्यवस्था करना।
5. पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था से बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना।	5. पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था से बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना।	5. पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था से बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना।	5. पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था से बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना।
6. नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा देश के आदर्श नागरिक तैयार करना।	6. नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा देश के आदर्श नागरिक तैयार करना।	6. नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा देश के आदर्श नागरिक तैयार करना।	6. नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा देश के आदर्श नागरिक तैयार करना।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना।	7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना।	7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना।	7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना।
8. मन्दबुद्धि बालकों को विशेष उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनके शिक्षण स्तर को बढ़ाना।	8. मन्दबुद्धि बालकों को विशेष उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनके शिक्षण स्तर को बढ़ाना।	8. मन्दबुद्धि बालकों को विशेष उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनके शिक्षण स्तर को बढ़ाना।	8. मन्दबुद्धि बालकों को विशेष उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनके शिक्षण स्तर को बढ़ाना।
9. बच्चों में देश, समाज एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।	9. बच्चों में देश, समाज एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।	9. बच्चों में देश, समाज एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।	9. बच्चों में देश, समाज एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
10. बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ बताकर लक्ष्य का ज्ञान कराना।	10. बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ बताकर लक्ष्य का ज्ञान कराना।	10. बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ बताकर लक्ष्य का ज्ञान कराना।	10. बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ बताकर लक्ष्य का ज्ञान कराना।
11. शहीदों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शहीदों को श्रद्धान्जलि देना।	11. शहीदों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शहीदों को श्रद्धान्जलि देना।	11. शहीदों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शहीदों को श्रद्धान्जलि देना।	11. शहीदों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शहीदों को श्रद्धान्जलि देना।
		12. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना।	12. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना।
		13. मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक जागृति पैदा कर बौद्धिक एवं शारीरिक विकास।	13. मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक जागृति पैदा कर बौद्धिक एवं शारीरिक विकास।
		14. वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल-कूद की व्यवस्था करना तथा योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन।	14. वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल-कूद की व्यवस्था करना तथा योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन।
		15. छात्रों एवं अध्यापकों को शैक्षिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षणिक संस्थान स्थापित करना एवं उनको प्रशिक्षित करना।	15. छात्रों एवं अध्यापकों को शैक्षिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षणिक संस्थान स्थापित करना एवं उनको प्रशिक्षित करना।
		16. छात्रावास, पुस्तकालय तथा प्रोढ़ शिक्षा का प्रबन्ध एवं संचालन करना।	16. छात्रावास, पुस्तकालय तथा प्रोढ़ शिक्षा का प्रबन्ध एवं संचालन करना।
		17. कला, उद्योग एवं विज्ञान की शिक्षा तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्य करना।	17. कला, उद्योग एवं विज्ञान की शिक्षा तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्य करना।
		18. ग्रामिण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार छात्राओं एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों को प्रोत्साहन।	18. ग्रामिण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार छात्राओं एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों को प्रोत्साहन।
		19. सरकार (राज्य व केन्द्र) की ओर से जनकल्याण के लिये संचालित योजनाओं में सहभागिता के आधार पर योजनाएँ संचालित करना।	19. सरकार (राज्य व केन्द्र) की ओर से जनकल्याण के लिये संचालित योजनाओं में सहभागिता के आधार पर योजनाएँ संचालित करना।

प्रमाणित किया जाता है कि  
दस्तावेज संख्या की पत्रावली  
के समितियों है।

7/12  
रजिस्ट्रार संस्थाएं सीकर

*Chairman*  
Chairman

Jai Vinayak Shiksha Samiti, SIKAR

*Treasurer*  
Treasurer

Jai Vinayak Shiksha Samiti, SIKAR

*Secretary*  
Secretary

Jai Vinayak Shiksha Samiti  
Shastri Nagar, Ranisati Road, SIKAR



7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व विकलांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षकी लक्ष्य
8. बच्चों को शिक्षण के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षकी लक्ष्य
9. बच्चों को शिक्षण के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षकी लक्ष्य
10. बच्चों को शिक्षण के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षकी लक्ष्य
11. बच्चों को शिक्षण के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षकी लक्ष्य
12. बच्चों को शिक्षण के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षकी लक्ष्य
13. बच्चों को शिक्षण के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षकी लक्ष्य
14. बच्चों को शिक्षण के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षकी लक्ष्य
15. बच्चों को शिक्षण के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षकी लक्ष्य



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

*मिनिपाल सिंह*  
अध्यक्ष

*मिनिपाल सिंह*  
मंत्री

*Kamlesh*  
कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री रामजीपाल खन्डरिया S/o श्री रामजीपाल खन्डरिया	विजी	विक्रम सिंह के अड्डे के सामने कार्ड नं.-14 सीकर	अध्यक्ष
2.	रमेश कुमार शर्मा S/o श्री नारायण लाल शर्मा	अध्यापक	हाऊसिंग बोर्ड देवीपुरा सीकर	मंत्री
3.	कमलेश कुमार शर्मा S/o श्री नारायण लाल शर्मा	अध्यापक	सुरेरा (मन्दा) तहसील - दातारामगढ़ सीकर	कोषाध्यक्ष
4.	बजरंग लाल शर्मा S/o श्री रामधन शर्मा	सर्विस	हाऊसिंग बोर्ड देवीपुरा सीकर	सदस्य
5.	इन्दिरा शर्मा W/o श्री बजरंग लाल शर्मा	गृहिणी	हाऊसिंग बोर्ड, देवीपुरा सीकर	सदस्य
6.	अन शर्मा अमेश कुमार शर्मा	गृहिणी	हाऊसिंग बोर्ड देवीपुरा सीकर	सदस्य
7.	केलाश चन्द श्री कान्ति चन्द ब्राह्मण	सर्विस	पंसारियों का कोहला दाता, जिला - सीकर	सदस्य
8.	हंसा देवी श्री केलाश चन्द ब्राह्मण	गृहिणी	पंसारियों का कोहला दाता, जिला - सीकर	सदस्य
9.	नारायण लाल S/o श्री मांजीबल ब्राह्मण	निजी	सुरेरा (मन्दा) जिला - सीकर	सदस्य

6

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	श्रीमती सुश्री व/म श्रीमती सुश्री ब्राह्मण	गृहिणी	सुरेश (मन्दा) जिला - सीकर	सदस्य
11.	श्रीमती सुश्री व/म श्रीमती सुश्री	गृहिणी	पैयारियों का मोहल्ला, दाता, सीकर	सदस्य
12.	आशा देवी व/म कमलेश शर्मा	गृहिणी	सुरेश (मन्दा) जिला - सीकर	सदस्य
13.				
14.				
15.				

सिवापाल कुरियर  
अध्यक्ष

7  
मन्त्री

Kamlesh  
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री. मांगी लाल शर्मा श्री. मांगी लाल शर्मा	निजी	विक्रम सिटी अटोमोबाइल फाल्ड, वार्ड नं. 14 सीकर	निजीपाल कुंवर
2.	श्री. जयराज लाल शर्मा श्री. जयराज लाल शर्मा	अध्ययन	हाऊसिंग बोर्ड डेवीपुरा, सीकर	निजी
3.	श्री. कमल शर्मा श्री. कमल शर्मा	अध्ययन	सुरेरा (मन्दा) सीकर	Kamla
4.	श्री. बजरंग लाल शर्मा श्री. शमशान शर्मा	खेती	हाऊसिंग बोर्ड डेवीपुरा, सीकर	बजरंग
5.	श्री. इन्दिरा शर्मा श्री. बजरंग लाल शर्मा	गृहिणी	हाऊसिंग बोर्ड, डेवीपुरा सीकर	इन्दिरा
6.	श्री. अनु शर्मा श्री. रमेश कुमार शर्मा	गृहिणी	हाऊसिंग बोर्ड डेवीपुरा, सीकर	अनु
7.	श्री. कैलशा चन्द्र शर्मा श्री. कान्हे चन्द्र शर्मा	खेती	पंजाबियों का मोहल्ला डोला, सीकर	Kaishara
8.	श्री. हंसा देवी शर्मा श्री. कैलशा चन्द्र शर्मा	गृहिणी	पंजाबियों का मोहल्ला, डोला, सीकर	हंसा
9.	श्री. नारायण लाल शर्मा श्री. मांगी लाल शर्मा	निजी	सुरेरा (मन्दा) सीकर	नारायण


8

निजीपाल कुंवर  
अध्यक्ष

निजी  
सचिव

Kamla  
कोषाध्यक्ष



क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

10

*विजयलक्ष्मी कृष्ण*  
 अध्यक्ष

*[Signature]*  
 मंत्री

*Kamesh*  
 कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

~~विमल कुमार~~  
अध्यक्ष

11  
~~मन्त्री~~

Kamlesh  
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.		136/	सोम/ 2004-05	
38.	जय विनायक	विद्यार्थी	शिक्षा सचिवालय	
39.	विद्यार्थी	विद्यार्थी	सोम	
40.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

IDENTIFIED

(साक्षर/राज)

1. हस्ताक्षर  
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(साक्षी)

2. हस्ताक्षर  
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

SWORN BEFORE ME

NOTARY PUBLIC

SIRAR (150)

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

12

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

प्रय विनायक शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

### विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम प्रय विनायक शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
- पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सीकर
- तथा कार्यक्षेत्र सीकर जिला शाही नगर बार्ड नं-15 है  
तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:- सीकर

1. बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश देना।
2. उचित शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना।
3. बालकों में देश, समाज तथा मानवभूति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
4. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की व्यवस्था करना।
5. पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था से बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना।
6. वैदिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा देश के आदर्श नागरिक तैयार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


13

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति, विधवा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्शमूख शिक्षा के लिए
8. अन्ध बूढ़िबालकों को क्रिषय उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनके शिक्षण स्तर को बढाना।
9. बच्चों में देश, समाज एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
10. बच्चों को ~~अनुसूचित~~ की जीवनियाँ बताकर लहय का ज्ञान देना।
11. शहीदों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शहीदों को श्रद्धाञ्जलि देना।
12. ....
13. ....
14. ....
15. ....



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


*सिमाकांत कुंज*  
अध्यक्ष

*Kamlesh*  
कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता :-

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2- बालिग हों।
- 3- पागल, दीवालिये न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।



सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1-संरक्षक
- 2-विशिष्ट
- 3-सम्माननीय
- 4-साधारण  
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :-

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- |               |           |      |               |
|---------------|-----------|------|---------------|
| ✓ 1-संरक्षक   | राशि..... | 1500 | वार्षिक/आजन्म |
| ✓ 2-विशिष्ट   | राशि..... | 500  | वार्षिक/आजन्म |
| ✓ 3-सम्माननीय | राशि..... | 2000 | वार्षिक       |
| ✓ 4-साधारण    | राशि..... | 100  | वार्षिक       |

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .... रु. ह. ट. को मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1-मृत्यु होने पर
- 2-त्याग-पत्र देने पर
- 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

15

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:-

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के

अधिकार और कर्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।


3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।


4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कमी आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

16


  
अध्यक्ष

  
सूत्री

  
कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी

का गठन :-



संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक  2. उपाध्यक्ष-एक   
3. मन्त्री-एक  4. कोषाध्यक्ष-एक   
5. सदस्य-स्रत ~~सिख~~ नौ

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ..... 3 ..... पदाधिकारी व  
..... 9 ..... सदस्य कुल ..... 27/2 ..... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।


17

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें :- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।



- 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
- 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष :

- 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3- बैठकें आहूत करना।
- 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मंत्री :


- 1- बैठकें आहूत करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

18

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष



- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

**4- उपमंत्री :**

- 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

**5- कोषाध्यक्ष :**

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

**16. संस्था का कोष :-**

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

- 1- चन्दा
  - 2- शुल्क
  - 3- अनुदान
  - 4- सहायता
  - 5- राजकीय अनुदान
- 1- रक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
  - 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

19


अध्यक्ष

मन्त्री

Kamlay  
कोषाध्यक्ष

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :-

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुशत स्वीकृत कर सकेंगे :-



1-अध्यक्ष 10,000 रु.

2-मन्त्री 8,000 रु.

3-कोषाध्यक्ष 7,000 रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :-

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्थाएँ श्री क. र. को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) जय विनायक शिक्षा समिति

श्री क. र.

समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

20

1. अध्यक्ष

2. संस्था का कार्य

3. किस्म दस्तावेज

4. दस्तावेजों की प्रकृति

5. दिनांक

136/...

मन्त्री

Kamlesh  
कोषाध्यक्ष

17.2.2005

### शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था <sup>सय</sup> विनायक शिक्षा समिति के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था विनायक शिक्षा समिति के पंजीयन हेतु कुल 15 आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, श्रीकर को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, श्रीकर को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

#### सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें .....को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

नोट : यह प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ पर 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

21

अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

### शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी संस्था

1. हमारी संस्था का पंजीयन संख्या ..... के शपथ घोषणा करते हैं कि:-
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य ..... दिनांक ..... हैं।
3. संस्था की आम सभा दिनांक ..... को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक ..... को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी के लिए चुनी गई है जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक ..... की सूचना का नोटिस दिनांक ..... को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, ..... को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ..... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

22

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

## विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र. सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र  
हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. तुलनात्मक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:-

क्र.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

- अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5)सह/91 दिनांक 11.2.2003 द्वारा प्रदेश में अकाल की स्थिति को देखते हुए पशुधन को सुरक्षा हेतु आदेश की तिथि से पंजीकृत होने वाली प्रत्येक गौ-सेवा समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 100/- रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 7.7.2003 द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.6.2003 के द्वारा प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसाइटी जलधारा समितियाँ, भू-जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत वाटर शेड्स कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों के पंजीयन के लिए जन साधारण की भागीदारी को देखते हुए पंजीयन शुल्क 1000.00 रु. निर्धारित किया गया था, में शिथिलता प्रदान कर सभी पेयजल व्यवस्था से संबंधित समितियों का पंजीयन शुल्क रु. 500/- निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या पं. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 30.9.2003 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा मण्डल स्थापित किये जाने के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 2500/- रु. में शिथिलता प्रदान कर पंजीयन शुल्क 250/- रुपये निर्धारित किया जाता है। घटी हुई राशि की सुविधा केवल उन्हीं नेहरू युवा मण्डलों को दी जावेगी, जो नेहरू युवा केन्द्र के उपनियमों के तहत पंजीकृत हों।